न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –156/2022

उनवान

1. शांती पत्नी रामकिशोर
2. बृज कुमार पुत्र रामकिशोर
3. राजेश कुमार पुत्र रामकिशोर
4. योगेश कुमार पुत्र रामकिशोर

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

बनाम

वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय।

प्रतिवादीगण

दावा अधिघोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषे0 बाबत

वादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद जैमन एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक 25.03.2026**

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादीगण कस्बा सिकराय जिला दौसा के रहने वाले है उनकी पैत्रिक भूमि साबिक खसरा नंबर 1109 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 1110 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 1123 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वाके रामा सिकराय में स्थित रही है जो वादीगण के बाबा स्व0 गंगासहाय की खातेदारी में दर्ज है। उनकी मृत्यू के बाद उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण उनके पुत्र रामकिशोर के नाम दर्ज हुआ तथा उनके नाम खातेदारी दर्ज रही है। वादीगण के बाबा की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1110 रकबा 1 बीघा 18

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

बिस्वा भूमि रही है तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता के नाम भी उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज रही है तथा उक्त संपूर्ण भूमि पर उनके पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा उक्त खेत में कभी भी किसी प्रकार की नहर नहीं रही है और नहीं वर्तमान समय में नहर है नक्शाशीट संवत 2003 ला 2022 में आराजी खसरा नंबर 1110 में किसी प्रकार की कोई नहर नहीं है। भू प्रबंध विभाग के अमीनों द्वारा आराजी खसरा नंबर 1110 के नवीन आराजी खसरा नंबर 1110/1 शा0 नं0 1485 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के नवीन आराजी खसरा नंबर ~~1847~~ (1487) रकबा 0.39 है0 व आराजी खसरा नंबर 1119/2 रकबा 5 बिस्वा के नवीन नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 नहर दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 सिंचाई विभाग के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गयी जबकि वादीगण के पूर्वजों की सहमती के बिना प्रतिवादीगण को उनकी खातेदारी भूमि को सिंचाई विभाग के नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं था। मिन वादीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 1110 में गैर कानूनी रूप से आराजी खसरा नंबर 1486 गै0मु0 नहर दर्ज कर दी गयी। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि का अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अधिगृहण नहीं किया और न ही मुआवजा दिया गया अपितु सैटलमेण्ट संवत 2068 के नक्शे में गै0मु0 नहर दर्ज कर दी। जिसे वर्तमान रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी होने के कारण दावा पेश किया गया है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार कर खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 वाके रामा सिकरायय की भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है उसे हजफ फरमाकर वादीगण के नाम खातेदारी अधिघोषणा की डिक्रि जारी की जावे। नक्शाशीट में दुरूस्ती की जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषे0 से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जेकाश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे।

इत्यादि पर दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बिन्दुवार जवाब दावा पेश कर बयान मजिद मे अंकित किया है कि आराजी खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 नहर दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 1 सिंचाई विभाग के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा नंबर में नहर पक्की/कच्ची का निर्माण कर रहे है। वादीगण की खातेदारी में होकर प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा है। खसरा नंबर 1486 में पूर्व सैकडो वर्षो से नहर राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है जिस पर प्रतिवादीगण नहर का निर्माण कार्य किया जा रहा है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड व नक्शाशीट में नहर दर्ज है। उक्त नहर माधोसागर बांध जिसका निर्माण सन 1887 साल माधोसिंह महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया जब से उक्त भूमि नहर के रूप में दर्ज है। वादीगण स्वच्छ हाथों से अदालत हाजा में नहीं आए है मात्र झूठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश किए जाने से खारिज योग्य है। इसलिए दावा वादीगण मय हर्जा खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

वादीगण द्वारा पेश वादपत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम कर विवेचित की गई–

1. आया वादीगण आराजी खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 भूमि की खातेदारी उदघोषणा वादीगण के नाम करवाने के अधिकारी है। – वादीगण
2. आया वादीगण आराजी खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 पूर्व में वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी होने के कारण वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शाशीट में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। – वादीगण
3. आया वादीगण विवादित भूमि खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 में कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग से मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थाई निषे0 से पाबंद करवाने के अधिकारी है। – वादीगण
4. आया वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 नहर सिंचाई विभाग की भूमि होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उदघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषे0 प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। – प्रतिवादीगण

उक्तानुसार प्रकरण में तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी गवाहों के शपथ पत्र पेश किए एवं दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। बार–बार अवसर दिए जाने पर भी प्रतिवादीगण अधिवक्ता जिरह हेतु उपस्थित नहीं होने पर जिरह बंद की गई एवं पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन में गवाह विशाल सैनी सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग सिकराय तह0 सिकराय जिला दौसा का शपथ पत्र पेश किया गया जिससे वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। शेष गवाह जिरह हेतु उपस्थित नहीं रहने से जिरह बंद कर पत्रावली बहस दावा हेतु नियत की गई। एवं उभयपक्ष की बहस दावा सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि विवादित भूमि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी रही है लेकिन सैटलमेण्ट द्वारा गलत तरीके से वादीगण की भूमि में नहर दर्ज कर दी जिसकी आड में प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करने पर आमादा है इसलिए दावा वादीगण स्वीकार कर वादीगण के हक में उदघोषणा की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषे0 से पाबंद किया जावे। प्रतिवादी द्वारा दावा वादीगण महज झूठे तथ्यों पर पेश किए जाने का कथन किया एवं दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्षों द्वारा पेश अभिवचनों दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन उपरांत प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

1 आया वादीगण आराजी खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 भूमि की खातेदारी उदघोषणा वादीगण के नाम करवाने के अधिकारी है। – वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1, नक्शाशीट संवत 2003 से 2022 ग्राम सिकराय प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2016 से 2019 प्रदर्श 3, जमाबंदी संवत प्रदर्श 4, जमाबंदी संवत 2031 से 2034 प्रदर्श 5, नामान्तकरण प्रदर्श 6 पेश किए है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि साबिक खसरा नंबर 1110 वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की भूमि रही है एवं उक्त नंबर से ही वर्तमान नंबर 1486 कायम कर सैटलमेण्ट द्वारा नहर दर्ज किया गया है। इसलिए तनकी संख्या 1 वादीगण के हक में निर्णित की जावे। यहां यह महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से साबिक खसरा नंबर 1110 की जमाबंदी संवत 2031 से 2034 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसमें नामान्तकरण संख्या 875 का नोट अंकित है एवं उक्त नामान्तकरण से ही नहर की नाम भूमि दर्ज की गई है। नामान्तकरण संख्या 875 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश की है जिसमें अंकित किया गया है कि उपजिलाधीश दौसा के आदेश से विवादित भूमि नहर के नाम दर्ज की गई है। उक्त से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध में तथ्यों को छुपाते हुए वादपत्र पेश किया गया है, विवादित भूमि उपजिलाधीश दौसा के आदेश से नहर के नाम दर्ज की गई है जबकि वादीगण द्वारा सैटलमेण्ट द्वारा त्रुटिवश नहर के नाम दर्ज किया जाना अंकित किया है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 1 को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

2 आया वादीगण आराजी खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 पूर्व में वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी होने के कारण वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शाशीट में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। – वादीगण

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से स्पष्ट है कि तनकी संख्या 2 स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 2 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

3 आया वादीगण विवादित भूमि खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 में कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग से मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थाई निषे0 से पाबंद करवाने के अधिकारी है। – वादीगण

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 की विस्तृत विवेचना कर वादीगण के खिलाफ निर्णित की जा चुकी है। खसरा नंबर 1486 के संबंध में वादीगण द्वारा इस तनकी में स्थायी निषे0 चाही है लेकिन उक्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 3 वादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

4 आया वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा नंबर 1486 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 नहर सिंचाई विभाग की भूमि होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उदघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषे0 प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। – प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि उपजिलाधीश दौसा के आदेश से सिंचाई विभाग के नाम दर्ज की गई है। इसलिए वादीगण उदघोषणा वाद इस न्यायालय में लाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार तनकीवार विवेचन से स्पष्ट है कि दावा वादीगण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
उपखण्ड एवं अधिकारी
सिकराय, जिला दौसा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय